न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्रीमति संजू मीणा)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./19/2020

1. श्री कुन्दनमल पुत्र स्व. श्री मिश्रीलाल जाति बलाई उम्र 65 वर्ष निवासी गुढाखुर्द, तहसील भिनाय जिला अजमेर (राजस्थान)

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्रीमति पूसी पत्नि स्व. श्री रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी गुढाखुर्द तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

(अप्रार्थीगण)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1. वकील प्रार्थी श्री देवकान्त व्यास
2. वकील अप्रार्थी श्री धर्मवीर बामनिया
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.08.2021

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा गुढाखुर्द पटवार क्षेत्र गुढाखुर्द, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं. 50 में दर्ज खसरा नं. 1494 रकबा 0.17 हैं0 किस्म नहरी–1, 1501 रकबा 0.21 हैं0 किस्म नहरी–1 जो कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 2 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील धर्मवीर बामनिया ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जवाब न देते हुए सीधें बहस करने का अनुरोध किया। पैरोकार सरकार द्वारा भी सीधे बहस किये जाने हेतु कथन किए गए। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की होना स्वीकारते हुए निवेदन किया कि पत्थरगढी आदेश की पालना वक्त अप्रार्थीगणों को भी सूचित किया जावे ताकि अप्रार्थीगणों का अहित न होने पावें। पैरोंकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा गुढाखुर्द पटवार क्षेत्र गुढाखुर्द, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं. 50 में दर्ज खसरा नं. 1494 रकबा 0.17 हैं0 किस्म नहरी–1, 1501 रकबा 0.21 हैं0 किस्म नहरी–1 प्रार्थी की खातेदारी होने से भू.अभिलेख निरीक्षक देवलियांकलां को 1500/– रूपये (अक्षरे एक हजार पांच सौ रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Scanned with CamScanner

फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जावेगी। भू.अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तामिल तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

(सोनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज